आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.02.2020		

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्विटेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–39/2019

शिवजी प्रसाद माथुरी —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचांची अंचल अन्तर्गत मौजा–अमलखोरी, थाना नं0–03, खाता नं0–58 प्लॉट नं0–169/2, रकवा–0.0062 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं आवेदक स्वंय अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि का बाजार दर पर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अधिग्रहित भूमि व्यवसायिक भूमि है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची, राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम 1956, भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं 1984 तथा भू–अर्जन पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 एवं अर्विट्रेशन तथा कॉन्सीलेशन अधिनियम 1956 के आलोक में अनुपालन हेतु अनुरोध किया गया है, साथ ही आवेदक द्वारा वताया गया कि उक्त भूमि एवं अवस्थित संरचना का 12,86,341.00 रू0 का भुगतान किया गया है, जवकि मुआवजा राशि का भुगतान 77,64,682.00 रू0 किया जाना चाहिए।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable वताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

इस कार्यालय का पत्रांक–1920/रा0, दिनांक–13.06.2019 के द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आलोक में जॉच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, तोपचांची से मांगा गया है, जो अंचल अधिकारी, तोपचांची का पत्रांक–504, दिनांक–12.07.2019 के द्वारा भूमि का जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है :–

(1) अर्जित भूमि का मुआवजा राशि का भूगतान मकान का किया गया है, जवकि अर्जित भूमि व्यवसायिक है, यानि दुकान –सह– आवासीय मकान है। अवस्थित है।

(2) मकान का भुगतान किया गया है, जवकि अर्जित भूमि पर दुकान है।

(3) अधिग्रहित भूमि का अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व दुकान था, तोछने तक दुकान था एवं अभी वर्त्तमान में अर्जित दुकान से सटे आवास में दुकान संचालित है।

(4) अर्जित भूमि एवं अवस्थित मकान का भुगतान किया गया है, जवकि व्यवसाय यानि दुकान का होना चाहिए।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदानुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 11/2/20
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्विट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 11/2/20
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्विट्रेटर, धनबाद।

Scanned with CamScanner